न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

राजस्व अपील सं. 03/2025 GCMS No. 2025/18

अपीलांट–	बनाम	उत्तरदातागण–
1.रामकिशन पुत्र दुर्गाराम फौत के कायम मुकाम 1/1 ताजाराम पुत्र रामकिशन 1/2 रेखाराम पुत्र रामकिशन जातियान जाट निवासीयान जाखड़ा पटवार हल्का जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।		1. हिमथाराम पुत्र खेराजराम 2. कुभाराम पुत्र खेराजराम 3. चूतराराम पुत्र खेराजराम 4. पदमाराम पुत्र खेराजराम 5. बबरीदेवी पत्नी खेराजराम 6. आसूराम पुत्र खेराजराम 7. अखाराम पुत्र खेमाराम 8. चुनीदेवी पत्नि खेमाराम 9. मोहनलाल पुत्र खेमाराम 10. लिच्छूराम पुत्र खेमाराम जातियान जाट निवासीयान जाखड़ा पटवार हल्का जाखड़ा तहसील गिड़ा 11.तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/2008/8 दिनांक 15.01.2008 तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्टान की संयुक्त भूमि के विभाजन आदेश दिनांक 15.01.2026 को विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री धमण्डाराम सारण उपस्थित।
2. उत्तरदातागण संख्या 1 सें 06 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनमाराम चौधरी उपस्थित।
3. उत्तरदातागण संख्या 7 सें 10 की ओर से अधिवक्ता श्री वगताराम चौधरी उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 17.02.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 के विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2008/8 दिनांक 15.01.2008 को तहसीलदार गिड़ा द्वारा सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील गिड़ा के अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी के खेत अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 10 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सं. 163,164,165,240 रकबा कमश 0–14, 0–18, 254–05, 122–04 बीघा संयुक्त रकबा 378–01 बीघा सरहद मौजा जाखड़ा पटवार क्षेत्र खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा में अवस्थित है जो समस्त भूमियां अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी है। यह हैं कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणिया, पशुओं का बाड़ा, चारवाड़ा, आवागगन के रास्ते इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाड़ा कराने की मंशा जाहिर की, इसी दरमियान राजस्व अभियान– 2008 में सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा हैं, तथा मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागगन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवाड़ा किया जायेगा, इसलिए दोनों पक्षों ने सम्बन्धित पटवारी से गिल कर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि, मौके पर काबिज अनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जावेगा, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। वक्त सहमति बंटवाड़ा मौके पर विपरीत स्थिति के विभाजित कर दिया, इसलिए ऐसे विभाजन प्रस्ताव, विभाजन की कार्यवाही व आदेश को यर्थार्थ स्वरूप में रखना न्याय हित में नहीं होने से निम्न आधारों पर अपीलकर्ता, मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े, पशुओं बाडें इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार तैयार नहीं कर मौके के विपरीत तैयार कर दिया, इस कारण सभी खातेदारों का हिस्सा 1/3 नहीं होने से एक दुसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी, सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा उभयपक्षकारों कि बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश आदेश क्रमांक/राजस्व/2008/8 दिनांक 15.01.2008 को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं, इस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया।

2. अतः हमनें अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोड़ेट सख्या 1 सें 10 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि यह आवश्यक था, कि सह खातेदारान के मध्य जब संयुक्त भूमि का विभाजन किया जावे, तब भूमि पर काबिज पक्षकारान की रहवासीय ढाणियों, पानी के टाकों, आवागमन हेतु रखी गयी भूमि जिस जगह तरमीम की जा रही हैं, उससे किसी पक्षकारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही हो, किन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसी सम्यक तत्परता अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा नहीं बरतने से सह खातेदारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी हो रहे हैं, जिस वक्त अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 सें 10 ने विभाजन कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये तब ऐसे लट्ठा ट्रेस नक्शे में सहखातेदरान के विभाजित हिस्से में रंग भरकर अलग नहीं किया हुआ था, इस कारण ऐसे तथ्यों की जानकारी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10 को नहीं हुई, इस आधार पर उक्त आदेश निरस्त/अपारत किये जाने योग्य हैं।

3. उक्त आदेश की पालना में पक्षकारान के खसरों का बंटवारों का विभाजन किया गया जिसमें मुख्य आपत्ति कब्जे को लेकर है, उक्त बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा किया जावें। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाती है।

अतः बाद विवेशन अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार गिड़ा आदेश क्रमांक/राजस्व/2008/8 दिनांक 15.01.2008 को अपास्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार गिड़ा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति एवं मौके पर कब्जे काश्त, हिस्सा अनुसार भूमि के विभाजन का नया आदेश पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

4. निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

(भुवनेश्वर सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय अमर कलक्टर बालोतरा (राज.)